नईदुनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण समिति के सदस्यों के साथ निर्माणाधीन जिला कार्यालयों की समीक्षा बैठक कर चर्चा की। इस अवसर पर भवन निर्माण समिति के प्रदेश संयोजक उमाशंकर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, प्रकोष्ठ प्रभारी आशुतोष तिवारी एवं टोली सदस्य गौरव गर्ग उपस्थित रहे।

ट्रांसफर पोर्टल की नई शर्तों से शिक्षक परेशान

मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया शिक्षकों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही है। तबादला पोर्टल में सामने आ रही तकनीकी खामियों और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

सबसे अधिक परेशानी पति-पत्नी आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों को हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि तबादला नीति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) को अनिवार्य नहीं बताया गया था, लेकिन पोर्टल पर इसे अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा है। कई शिक्षकों के पास यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी पहले कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून होने के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई है। शिक्षक संगठनों के अनुसार पहले ही 90

प्रतिशत ई-अटेंडेंस, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर रोक और न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण अनेक शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब पोर्टल की तकनीकी समस्याओं ने स्थिति और जटिल बना दी है। शिक्षकों ने कई अन्य समस्याएं भी गिनाई हैं। दिव्यांग शिक्षकों से एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि पुराने स्थायी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे। पारस्परिक (म्यूचुअल) तबादले में कई शिक्षकों के नाम पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरे जिलों में तबादला चाहने वाले शिक्षकों को सभी जिलों के विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहे। कुछ शिक्षकों को प्रयोगशाला शिक्षक, मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, सांदीपनि और पीएमश्री स्कूलों के पदों के विकल्प भी नहीं मिल रहे हैं। जबलपुर के शिक्षक दीपक शरणागत ने बताया कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए संबंधित शिक्षक का नाम पोर्टल पर नहीं आने से आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं पति-पत्नी आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों का कहना है कि सर्विस बुक में वैवाहिक संबंधों का पूरा विवरण दर्ज रहता है, ऐसे में अलग से मैरिज सर्टिफिकेट मांगना उचित नहीं है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने पोर्टल की तकनीकी खामियां तत्काल दूर करने और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल तबादला प्रक्रिया की अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यदि विभाग समय रहते तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं करता और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर स्पष्टता नहीं देता, तो बड़ी संख्या में पात्र शिक्षक तबादला प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं।

जीआरपी का स्मार्ट पुलिसिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न, तकनीकी दक्षता पर जोर

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः बदलते अपराध स्वरूपों और आधुनिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशेष 'स्मार्ट पुलिसिंग प्रशिक्षण' शिविर का मंगलवार को पीटीआरआई प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में समापन हुआ। समापन समारोह में विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार संजीव कुमार शमी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल राजाबाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

8 जून से 22 जून तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीआरपी भोपाल, इंदौर और जबलपुर इकाइयों के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के 30 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक, तकनीकी रूप से दक्ष और अधिक संवेदनशील बनाना था।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान, मानवाधिकार संरक्षण, तनाव प्रबंधन तथा आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को तकनीक आधारित पुलिसिंग और जनोन्मुख कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

बीएसएनएल ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 259 रुपए का नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भारतनेट उद्यमी नेटवर्क से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए 'रूरल एंट्री प्लान' नामक नया किफायती ब्रॉडबैंड प्लान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विद्यार्थियों, उद्यमियों और संस्थानों को सस्ती दरों पर हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति माह 700 जीबी डेटा 25 एमबीपीएस की गति से मिलेगा। निर्धारित डेटा सीमा समाप्त होने के बाद भी इंटरनेट सेवा 2 एमबीपीएस की गति से जारी रहेगी। इस प्लान का मासिक शुल्क 259 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) रखा गया है। इसके अलावा छह माह के लिए 1,449 रुपये और एक वर्ष के लिए 2,849 रुपये के विशेष पैकेज भी उपलब्ध हैं।

ग्राहकों को देशभर में किसी भी नेटवर्क पर असीमित लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही न्यूनतम शुल्क पर वेव्स ओटीटी प्रीमियम पैक का लाभ भी दिया जाएगा। बीएसएनएल के अनुसार यह विशेष ऑफर 22 जून 2026 से अगले 90 दिनों तक उपलब्ध रहेगा। कंपनी का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल उद्यमिता को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सार्वजनिक स्थल पर गंदगी देख महापौर ने दिए तत्काल सफाई के निर्देश

नप्र, भोपालः महापौर श्रीमती मालती राय ने मंगलवार को पिपलानी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान दीनदयाल रसोई के पास बड़ी मात्रा में कचरा, गंदगी और निर्माल्य सामग्री देखी। इस पर उन्होंने तुरंत अपना वाहन रोककर संबंधित अधिकारियों को मौके पर त्वरित सफाई के निर्देश दिए।

महापौर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी स्थिति में गंदगी न रहे और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उनके निर्देश पर नगर निगम के जोन क्रमांक 15 के अमले ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कचरा और गंदगी को उठाकर निर्धारित निष्पादन स्थल पर पहुंचाया। निगम टीम ने क्षेत्र में त्वरित सफाई अभियान चलाकर वातावरण को स्वच्छ किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें।

ट्विशा प्रकरण में एम्स पहुंची केंद्रीय जांच टीम

शव परीक्षण से जुड़े चिकित्सकों से भी लिए गए महत्वपूर्ण तथ्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ट्विशा की संदिग्ध मृत्यु के मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम मंगलवार को एम्स भोपाल पहुंची। दिल्ली से आई जांच टीम ने अस्पताल परिसर में करीब दो घंटे तक विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी जुटाई और मामले से जुड़े चिकित्सकों तथा अस्पताल कर्मियों से विस्तृत पूछताछ की।

जानकारी के अनुसार जांच अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि संबंधित मरीज को किस अवस्था में अस्पताल लाया गया था और उपचार के दौरान क्या परिस्थितियां रहीं। टीम ने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से घटनाक्रम की क्रमवार जानकारी ली। जांच के दौरान सभी संभावित चिकित्सीय पहलुओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने उपचार संबंधी अभिलेखों, उपलब्ध तथ्यों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों के संबंध में चिकित्सकों से सवाल-जवाब किए। इसके अलावा शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकों से भी विस्तृत चर्चा की गई। जांच दल ने शव परीक्षण की प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने के आधार तथा उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बरगी क्रूज हादसे में वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज

भोपाल। बरगी बांध क्रूज हादसे की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के समक्ष मंगलवार को पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। हादसे में 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद गठित आयोग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. इलैया राजा टी. तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक दिलीप कुमार यादव कलेक्ट्रेट स्थित आयोग कार्यालय पहुंचे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं आयोग के अध्यक्ष संजय द्विवेदी ने दोनों अधिकारियों से हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ की। बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में लगभग साढ़े चार घंटे का समय लगा। आयोग अध्यक्ष संजय द्विवेदी ने बताया कि जांच निष्पक्ष और व्यापक रूप से आगे बढ़ाई जा रही है। पूर्व में गठित जांच समिति द्वारा जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए थे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः तलब किया जा सकता है। साथ ही हादसे से जुड़े अन्य पक्षों और प्रत्यक्षदर्शियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांच के दौरान आयोग प्रदेश के 15 विभिन्न स्थानों पर संचालित जल क्रीड़ा गतिविधियों का भौतिक निरीक्षण भी करेगा। इसके अलावा प्रदेश के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों पर संचालित जलयान सेवाओं की व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों का भी परीक्षण किया जाएगा।

सरल संयोजन पोर्टल से नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, 6.11 लाख उपभोक्ताओं को मिला लाभ

नप्र, भोपालः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी के 'सरल संयोजन पोर्टल' के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि में घर बैठे नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

कंपनी के अनुसार जुलाई 2023 से शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए अब तक पूरे कार्यक्षेत्र में 6 लाख 11 हजार से अधिक नए बिजली कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इनमें 10 किलोवॉट तक के अस्थायी कनेक्शन भी शामिल हैं। वहीं भोपाल शहर और भोपाल ग्रामीण वृत्त में 1 लाख 21 हजार 619 उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि उपभोक्ता सरल संयोजन पोर्टल या यूपीएवाई ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद कंपनी द्वारा सर्वे एवं अन्य औपचारिकताएं समय-सीमा में पूरी कर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।

कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं का समय बच रहा है और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो गई है।

महापौर ने होर्डिंग्स की स्ट्रक्चर रिपोर्ट अनिवार्य करने के दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महापौर श्रीमती मालती राय ने निगम की होर्डिंग एवं अतिक्रमण शाखा की समीक्षा बैठक में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु एवं तेज आंधी के दौरान होर्डिंग्स और यूनीपोल से किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए सभी संचालकों से स्ट्रक्चर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए। जो संचालक निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते, उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। महापौर ने अटल भवन के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में लगाए गए सभी यूनीपोल और होर्डिंग्स की सुरक्षा जांच कराई जाए तथा नोटिस जारी कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में उन्होंने अतिक्रमण शाखा के कार्यों की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि नाला-नालियों पर किए गए सभी अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए, ताकि वर्षा ऋतु में जल निकासी बाधित न हो। साथ ही शहर में कहीं भी नया अतिक्रमण या अवैध निर्माण न होने देने के लिए सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमण प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में अपर आयुक्त, उपायुक्त, महापौर परिषद सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ननि की सख्त कार्रवाई, 27 प्रकरणों में 18,300 रुपए का जुर्माना वसूला

नप्र, भोपालः नगर निगम द्वारा शहर में साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जोन क्रमांक 14 के अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 27 प्रकरणों में कुल 18,300 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला। साथ ही नाले में कचरा फेंकने वाले एक व्यक्ति से 1,000 रुपए का जुर्माना लिया गया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई सीएंडडी वेस्ट, भवन निर्माण सामग्री को सड़कों पर डालने, शासकीय संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाकर विरूपण करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ की गई। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा डस्टबिन न रखने और अन्य नियम उल्लंघन के मामलों पर भी कार्रवाई हुई। जोन 14 की टीम ने 2 मामलों में 10,000 रुपए, 5 मामलों में 5,000 रुपए, 8 मामलों में 2,100 रुपए तथा 10 मामलों में 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अतिरिक्त एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवधपुरी क्षेत्र में नाले में कचरा फेंकते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और मौके पर ही जुर्माना वसूला। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें और कचरा केवल निर्धारित वाहनों को ही दें।

राहुल गांधी की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई

समन को चुनौती देने वाले मामले में अंतरिम राहत पर आज होगा फैसला

नप्र, भोपालः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि प्रकरण से संबंधित याचिका पर मंगलवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान भोपाल स्थित सांसद-विधायक विशेष न्यायालय ने अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत संबंधी मांग पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है। अब यह तय होगा कि उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मिलेगी या उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।

मामला केंद्रीय कृषि मंत्री के पुत्र द्वारा दायर मानहानि वाद से जुड़ा है। भोपाल की सांसद-विधायक विशेष न्यायालय ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि समन जारी करने की प्रक्रिया और उसके आधार की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने न्यायालय से समन निरस्त करने की मांग की है। परिवाद के अनुसार वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पत्र प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बयान से उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र का नाम लेना चाहते थे, लेकिन भूलवश कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ले लिया गया था। मामले में आगे की सुनवाई अब बुधवार को होगी।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा, मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना नीति-2026 पर मंथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को वल्लभ भवन में 'मध्यप्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026' के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने की।

बैठक में प्रस्तावित नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि नीति का केंद्र बिंदु गरीब, वंचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसके लिए सेवा-भाव से कार्य करने वाली परोपकारी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि

वर्तमान में उ' चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों के मरीजों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना को बढ़ावा देना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना तथा गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है।

नीति के तहत केवल लाभ-निरपेक्ष एवं सेवा-उन्मुख संस्थाओं को पात्र माना जाएगा। इनमें धारा-8 कंपनियां, धर्मार्थ ट्रस्ट और पंजीकृत सोसायटियां शामिल होंगी। पात्र संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने, चिकित्सा उपकरणों के लिए अनुदान देने तथा सिंगल-पॉइंट क्लियरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। समिति ने नीति को अधिक पारदर्शी, जनहितकारी और सेवा-केंद्रित बनाने पर जोर दिया।

27 पशु पकड़कर कांजी हाउस भेजे

भोपाल। नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पशुओं को हटाने का अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में गौवर्धन परियोजना शाखा की टीम ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 24 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में भेजा, जबकि 3 पशुओं को आसरा पशु चिकित्सालय में पहुंचाया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम सायमा सुल्तान (SAYMA SULTAN) था जो अब वर्तमान में बदलकर नया नाम सायमा (SAIMA) पत्नी इमरान मियां (IMRAN MIYAN) निवासी वार्ड नं. 7 इस्लामपुरा बैरसिया भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब सभी शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

697

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2 तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण कमांक 0024/अ-6/2026-27
दिनांक 03/06/2026
ग्राम सूखी सेवनियां प. ह. न. 33

इश्तेहार

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक जीवन डेवल्पर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा भागीदार श्री एजाज खान आ. सिराज खान निवासी भोपाल म.प्र. ने म.प्र.भू-रा.संहिता की धारा 109,110 के तहत आवेदन प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भोपाल दस्तावेज क्र. MP431GR16962026A100394672 दिनांक 29.03.2026 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम सूखी सेविनयां, प.ह.न. 33 तहसील हुजूर स्थित भूमि का खसरा क्रमांक 550/1/2/2 कुल रकबा 0.0900 हे. भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 06/07/2026 नियत है। उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक (19/06/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

696

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, ई-7 अरेरा कॉलोनी, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक 833 मण्डल द्वारा (1) श्रीमती रूबी गुरदर्शन साहनी पत्नी स्व. श्री गजिन्दर सिंह साहनी (2) श्री करन सिंह साहनी आत्मज स्व. श्री गजिन्दर सिंह साहनी (3) सुश्री रसलीन कौर साहनी आत्मज स्व. श्री गजिन्दर सिंह साहनी के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 08/02/1985 को एवं तीज नवीनीकरण दिनांक 26/03/2021 को पंजीकृत है। (1) श्रीमती रूबी गुरदर्शन साहनी पत्नी स्व. श्री गजिन्दर सिंह साहनी (2) श्री करन सिंह साहनी (3) सुश्री रसलीन कौर साहनी (2) व (3) द्वारा मुख्तारआम श्रीमती रूबी गुरदर्शन साहनी पत्नी स्व. श्री गजिन्दर सिंह साहनी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मोहिंदर पाल सिंह गुलियानी आत्मज स्व. श्री नानक सिंह गुलियानी को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसके विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 25/06/2024 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पति श्री मोहिंदर पाल सिंह गुलियानी आत्मज स्व. श्री नानक सिंह गुलियानी के नाम हस्तांतरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

695